24

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 96 / 2019

दायर दिनांक–21–06–2019

1 विद्याधर पुत्र चुनाराम पौत्रान माधाराम जाति माली निवासी ग्राम भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
2 खेमचन्द पुत्र चुनाराम पौत्रान माधाराम जाति माली निवासी ग्राम भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
3 सांवरमल पुत्र चुनाराम पौत्रान माधाराम जाति माली निवासी ग्राम भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
4 प्रहलाद पुत्र चुनाराम पौत्रान माधाराम जाति माली निवासी ग्राम भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं
5 रामस्वरूप पुत्र मेघराम पौत्रान माधाराम जाति माली निवासी ग्राम भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं
6 रामनिवास पुत्र मेघराम पौत्रान माधाराम जाति माली निवासी ग्राम भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं
7 भोजराज पुत्र मेघराम पौत्रान माधाराम जाति माली निवासी ग्राम भरवाडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं
8 ओमप्रकाश पुत्र मांगिलाल जाति जांगिड़ निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9 सुभाष पुत्र मांगिलाल जाति जांगिड़ निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मांगिलाल जाति जांगिड़ निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
11 बनारसी पत्नी मांगिलाल जाति जांगिड़ निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
12 श्रवण पुत्र गीगाराम जाति मेघवाल निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
13 भीवा पुत्र गीगाराम जाति मेघवाल निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
14 शिवकरण पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. महेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार जाति जांगिड निवासी चारा का बास, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड

वकील प्रति. नं. :–

दावा बाबत दुरूस्ती रिकॉर्ड (नक्शा)

एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 27.06.2022

वादीगण के वाद–पत्र संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके राजस्व ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.38 हैक्टर, वादी नम्बर 1 लगायत 7 की खातेदारी [illegible] व हक अधिकारों की भूमि है। खसरा नम्बर 256 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 2.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 [illegible] कब्जे काश्त व हक अधिकारों 1.48 हैक्टर, की भूमि वादी नम्बर 8 लगायत 11 व प्रतिवादी नम्बर 2 [illegible] हैक्टर, भूमि वादी नम्बर [illegible] की भूमि है तथा भूमि खसरा नम्बर 254 रकबा 0.01 हैक्टर, [illegible] अधिकारों की भूमि है। उपरोक्त वर्णित [illegible] 12 लगायत 14 व प्रतिवादी नम्बर 3 के कब्जे काश्त व हक अधिकारों की भूमि को काश्त [illegible] है, वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी–अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हक अधिकारों की भूमि को [illegible] उपरोक्त खसरा नम्बरान की वर्तमान जमाबंदी व काबिज है ढ़ाणी व चाह बनाकर आबाद है तथ सिंचाई करते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की वर्तमान जमाबंदी व नक्शा सीट सेवामें पेश की जा रही है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 240 व 241 पुराने खसरा नम्बर 176 से बने है। नए खसरा नम्बर 254 व 255 पुराने खसरा नम्बर 179 से बने है, नए खसरा नम्बर 256 व 271 पुराने खसरा नम्बर 182 से बने है, तथा नए खसरा नम्बर 270 पुराने खसरा नम्बर 205 से बने है। उक्त का मिलान क्षैत्रफल व पुरानी नक्शा सीट सेवा में पेश किये जा रहे है।

वादीगण की खातेदारी हक अधिकारों की भूमि पुराने खसरा नम्बर 205, 182, 179 में उत्तर से दक्षिण की एक रास्ता मौके पर रहा था जो कि पुरानी नक्शा सीट में डॉटेड लोईनों से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता के हालाकि खसरा नम्बर अलग नही है, ना ही सीधी लाईनों से दर्शाया गया है व ना ही राज्य सरकार के खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। परन्तु चूंकि उक्त रास्ता मौके पर चालु रहा है। इस रास्ते को सम्बन्धित खातेदारान में अपनी सुविधानुसार कृषि भूमि में से डाल रखा है इसलिए इस रास्ते बाबत कोई विवाद नही है। उक्त रास्ता नई नक्शा सीट में भी डॉटेड लाईनों से नए खसरा नम्बर 272, 271, 256, 255 व 251 में से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से कभी मौजूद नही रहा है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा पुराने खसरा नम्बर 205, 182, 179 व 176 में से होकर प्रचलन में अथवा कटान में नही रहा है ना ही वर्तमान में नए खसरा नम्बर 240, 241, 256, 255, 269, 270 में से उपरोक्त वर्णित के अलावा कोई रास्ता मौजूद है। परन्तु सैटलमेन्ट में बनी हुई नक्शा सीट में बिना किसी आधार के व बिना कानून के व मौके की स्थिति के विपरीत क्षैत्राधिकार के बाहर सैटलमेन्ट से बाहर सैटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारीयों द्वारा वादीगण के खेत खसरा नम्बर 240, 241, 255, 256 व 269 में से नई नक्शा सीट में दर्शित अनुसार A व B स्थान पर डॉटेड लाईनें डाल दी जो कि गलत रूप से बिना क्षैत्राधिकार वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत तथा मौका की स्थिती के विपरीत डाल दी जिसको पुरानी नक्शा सीट के अनुसार दुरूस्त किए जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश है।

पैमाइशी कर्मचारीयों व अधिकारीयों को पैमाइश के समय पूर्व के रिकॉर्ड की पुनरावर्ति करने मात्र का अधिकार था, किसी व्यक्ति की खातेदारी बदलने व नक्शा सीट में नई लाइने डालने व रिकॉर्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नही था। परन्तु पैमाइशी कर्मचारीयों व अधिकारीयों द्वारा बिना क्षैत्राधिकार के विधि विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विपरित संलग्न नक्शा सीट में वादीगण के खेत के नक्शें में से डॉटेड लाइने डाल दी जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

नक्शा सीट में वादीगण की कृषि भूमि के नक्शा में डॉटेड लाइने डालने से प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा नाजायज रूप से डॉटेड लाइनों के अनुसार रास्त खोलने की कार्यवाही वादीगण से ईर्ष्या रखने वालो लोगों से मिलकर की जा रही है जो कि विधि के विपरीत है तथा वादीगण के वैध हक अधिकारों से विपरीत है। उपरोक्त वर्णित अनुसार वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों की कृषि भूमि में से पैमाइशी कर्मचारी व अधिकारीयों द्वारा विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत डाली गई डॉटेड लाइनों से होकर यदी कोई रास्ता खोला जाता है तो वादीगण की कृषि भूमि विभाजित हो जाएगी कृषि योग्य नही रहेगी तथा वादीगण को अपने खातेदारी वैध अधिकारों से महरूम होना पडेगा। किसी भी खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि में से यदि रास्ता डाला जाता है तो उसके लिए रास्ते की भूमि अधिग्रहण की जाकर ही रास्ता डाला जा सकता है अथवा यदि मौके पर रास्ता पुराना प्रचलन का हो तो सुखाधिकार के आधार पर रास्ता खुलवाया जा सकता है परन्तु बिना किसी आधार के खातेदार की सहमति के बिना किसी खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि में से रास्ता डालने का कोई प्रावधान नही है।

वादीगण को अपनी कृषि भूमि में से डॉटेड [illegible] कोई जानकारी नही थी परन्तु पिछले वर्ष वादीगण से ईष्या रखने वाले लोक ग्राम पंचायत से मि[illegible]क्त वादीगण की कृषि भूमि में से नक्शा सीट में डॉटेड लाईनों के अनुसार ग्रेवल डाल[illegible]गण ने नक्शा सीट की दिनांक 03.05.2018 की नकल ली तथा ग्राम पंचायत व तहसीलदार [illegible]ढ़ व सम्बंधित व्यक्तियों के विरूद्ध अपने सिविल अधिकारों की रक्षार्थ माननीय सिविल न्यायालय में वाद [illegible] किया तथा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा भी जारी की गई है। चूंकि वादीगण की भूमि कृषि भूमि है तथा नक्शा सीट को दुरूस्त व संशोधन करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है इसलिए उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.टे.)
नवलगढ़

उपरोक्त वाद हेतु वाद कारण पैमाइशी कर्मचारीयों व अधिकारीयों द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के कानून विरूद्ध मौके की स्थिति के विपरित नक्शा सीट में वादीगण की कृषि भूमि में नक्शे में डॉटेड लाइने डालने के रोज एवं दिनाक 03.05.2018 को नक्शा सीट की नकल लेने पर उक्त गलत रिकॉर्ड का पता चलने के रोज न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

वादीगण द्वारा वाद पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण की ग्राम भरवाडी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 240, 241, 256, 255, 269, 270 की वर्तमान नक्शा सीट में पूर्व की नक्शा सीट के विरूद्ध डाली गई डॉटेड लाईनों को हटाया जाकर पुरानी नक्शा सीट के अनुसार ही नई नक्शा सीट बनाई जावें। प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे वादीगण की कृषि भूमि में से कोई रास्ता नही निकाले। यह कि अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादीगण के पक्ष में पड़ती हो वह भी दिलाई जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 बावजूद सम्यक तामिल होने पर बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने पर प्रकरण में तनकी कायम नही की गई। शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं विधाधर एंव गवाह भोजराज पुत्र मेधराज, भींवा पुत्र गीगाराम तथा सुभाष पुत्र मांगीलाल उपस्थित न्यायालय हो, अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किये तथा वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी खाता संख्या 130 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–01, नकल जमाबंदी खाता संख्या 111 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–02, नकल जमाबंदी खाता संख्या 08 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–03, नक्शा शीट सन् 1952–53 सम्वत् 2009 प्रदर्श–04, मिलान क्षैत्रफल ग्राम भरवाडी प्रदर्श–05, नक्शा शीट सन् 1979–80 प्रदर्श–06 प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 240 व 241 पुराने खसरा नम्बर 176 से बने है। नए खसरा नम्बर 254 व 255 पुराने खसरा नम्बर 179 से बने है, नए खसरा नम्बर 256 व 271 पुराने खसरा नम्बर 182 से बने है, तथा नए खसरा नम्बर 270 पुराने खसरा नम्बर 205 से बने है जो पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–05 से साबित होता है। वादीगण की खातेदारी हक अधिकारों की भूमि पुराने खसरा नम्बर 205, 182, 179 में उत्तर से दक्षिण की एक रास्ता मौके पर रहा था जो कि पुरानी नक्शा सीट में डॉटेड लोईनों से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के खसरा नम्बर अलग नही है, ना ही सीधी लाईनों से दर्शाया गया है व ना ही राज्य सरकार के खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। उक्त रास्ता नई नक्शा सीट में भी डॉटेड लाईनों से नए खसरा नम्बर 272, 271, 256, 255 व 251 में से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से कभी मौजूद नही रहा है। वर्णित रास्ते के अलावा पुराने खसरा नम्बर 205, 182, 179 व 176 में से होकर प्रचलन में अथवा कटान में नही रहा है ना ही वर्तमान में नए खसरा नम्बर 240, 241, 256, 255, 269, 270 में से उपरोक्त वर्णित के अलावा कोई रास्ता मौजूद है। परन्तु सैटलमेन्ट में बनी हुई नक्शा सीट में बिना किसी आधार व बिना कानून मौके की स्थिति के विपरीत क्षैत्राधिकार के बाहर सैटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारीयों द्वारा वादीगण के खेत खसरा नम्बर 240, 241, 255, 256 व 269 में से नई नक्शा सीट में दर्शित अनुसार A व B स्थान पर डॉटेड लाईन [illegible] कि विधि विरूद्ध है। उक्त डाल गया रास्ता वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत तथा मौका [illegible] डाली गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबंदी खाता संख्या 130 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–01, नकल जमाबंदी खाता संख्या 111 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–02, नकल जमाबंदी खाता संख्या 08 सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–03, नक्शा शीट सन् 1952–53 सम्वत् 2009 प्रदर्श–04, नक्शा शीट सन् 1979–80 प्रदर्श–06 से साबित होता है। नक्शा सीट में वादीगण की कृषि भूमि के नक्शा में डॉटेड लाइने डालने से प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा नाजायज रूप से डॉटेड लाइनों के अनुसार रास्ता विधि के विपरीत है तथा वादीगण के वैध हक अधिकारों से विपरीत है। वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (क्र.द.)
नवलगढ़

अनुसार वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों की कृषि भूमि में से पैमाईश कर्मचारी व अधिकारीयों द्वारा विधि विरूद्ध बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मौके की स्थिति के विपरीत डाली गई है। चूंकि डॉटेड लाइनों से होकर यदी कोई रास्ता खोला जाता है तो वादीगण की कृषि भूमि विभाजित हो जाएगी कृषि योग्य नही रहेगी तथा वादीगण को अपने खातेदारी वैध अधिकारों से महरूम होना पडेगा। वादीगणो के हक अधिकारो की खातेदारी की कृषि भूमि में भू–प्रबन्ध द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के डोटेड लाईन का रास्ता डाला जाना प्रमाणित होता है। वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया है। वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित पाये जाने पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम भरवाडी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 240, 241, 256, 255, 269, 270 की वर्तमान नक्शा सीट में पूर्व की नक्शा सीट के विरूद्ध डाली गई डॉटेड लाईनों को हटाया जाकर पुरानी नक्शा सीट के अनुसार ही नई नक्शा सीट दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि में वादीगण की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करेगे। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **27.06.202** को खुले न्यायालय में सुनाया

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

28

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत दुरूस्ती रिकॉर्ड (नक्शा)
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 96/2019 **(विधाधर बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **27.06.2022** निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम भरवाडी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 240, 241, 256, 255, 269, 270 की वर्तमान नक्शा सीट में पूर्व की नक्शा सीट के विरूद्ध डाली गई डॉटेड लाईनों को हटाया जाकर पुरानी नक्शा सीट के अनुसार ही नई नक्शा सीट दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि में वादीगण की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करेगे। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। जिन............–............ मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **27.06.2022** को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
ए.सी.ई.एम. (फास्ट ट्रेक) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested